

6-4-22

वकुलामे करीकेन उपदिक्कल।
उक्कल पञ्जावली से संबन्धित
मूल वाद संख्या 34/2019
उमवानी प्योलाराम V/S पञ्जाकार्दि
का निर्णय दिनांक 06-4-2022 को
स्वार्जि के रूप में हुआ है।

इसलिए उक्कल प्राठपत्र आधारा
212 RTA 1955 मूल वाद के अन्वय
में आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः दस्तावेज प्राठपत्र को स्वार्जि
किया जाता है। मिसल पुर्जनम्बर
से कम होकर मूल वाद सं. 34/19
G.C.M.S No- 2019/00133 उमवानी
प्योलाराम V/S पञ्जाकार्दि के
संबन्धित रहे। का

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

